

प्रेषक,

जी०पी० वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

गृह (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ

दिनांक : ०७ अप्रैल, 2010

विषय : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन/आनुतोषिक हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये धन का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों के राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन/आनुतोषिक हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्राविधानित कुल रूपये 40,00,00,000/- (रूपये चालीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहाँ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये।


3- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से किशतों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि उपर्युक्त धनराशि सम्बन्धी व्यय विवरण समस्त जनपदों से प्राप्त कर नियमित रूप से महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में भेजा जाये तथा जिसकी एक प्रति शासन को भी निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाये।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन /आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(जी०पी० वर्मा)

पु०स०-567 (1)जेड/6-सा-1-2010-तददिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदीर) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट-प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया पेशान मद में व्यय की गयी धनराशि का व्यय विवरण निदेशक/सचिव, कल्याण परिषद, लखनऊ एवं महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराये तथा अतिरिक्त धनराशि के आवंटन अथवा बचत/समर्पण की सूचना के सम्बन्ध में निदेशक/सचिव, स्वातंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ से अनुरोध करने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- 8- बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।